[Shri Hari Vishnu Kamath]

with so-called explanations for the delays. Some of the statements are laughable. I have got two specimens of these so-called statements explaining the delay. The statement--I will not read the whole statement--reads like this:

> "Though the Notification, in question, was published in the Gazette of India on 30th April, 1966, there was some delay in getting information regarding the G.S.R. No. of the Notification....."

—the delay was in getting the G.S.R. No. of the Notification—

> "....and the date of its publication....."

—which, they say, was published on a particular date—

> "..in the Gazette together with a copy of the Notification as printed in the Gazette."

I do not know whether a Government is functioning at all in this country if they cannot get the No. and the date of the Notification already published on a particular date which is referred to in the statement. I think, we are in for bad times.

Another statement reads like this:

> "....They were in a number of cases received from the State Government.....

—I am referring to previous statements, not today's statements—

> ".....in the Ministry of Home Affairs and were passed on by that Ministry to the Department of Agriculture...."

So, there was a shuttle-cock movement and they came back to the Home Ministry after some time. This is the reason given for the delay.

Sir, it is prepostrous that this sort of thing should go on like this, treating the House everyday to a sort of *tamasha*. This is becoming a *tamasha*.

Shri Hathi: I do apreciate Mr. Kamath's point. When I saw all those papers were to be laid on the Table, I myself tried to find out why there was delay and I myself was not satisfied with the reasons given. We shall be more careful in future.

ANNUAL REPORT OF PERMANENT INDUS COMMISSION

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): I lay on the Table a copy of the Annual Report of the Permanent Indus Commission for the year ended the 31st March, 1966. [*Placed in Library. See* No. LT-6796/66].

PERSONAL INJURIES (COMPENSATION INSURANCE) FOURTH AMENDMENT SCHEME, 1966.

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shahnawaz Khan): I lay on the Table a copy of the Personal Injuries (Compensation Insurance) Fourth Amendment Scheme, 1966, published in Notification No. S.O. 2285 in Gazette of India dated the 30th July, 1966, under section 24 of the Personal Injuries (Compensation Insurance) Act, 1963. [*Placed in Library. See* No. LT-6797/66].

13.25 hrs.

MOTIONS RE: SEVENTH REPORT OF COMMITTEE OF PRIVILEGES

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन को विशेषाधिकार समिति की सातवीं रपट पर विचार करने के लिए कहना है । उसके तथ्यों के बारे में ज्यादा तफ़सील में न जा कर मैं दो सिद्धान्त के जो सवाल उठते हैं, उनकी तरफ़ आप का ध्यान खींचना चाहता हूं । एक, संसदीय सचिवालय के मामलों पर इस सदन का कहां और कितना अख्त्यार होता है और दूसरा, सदन के सामने अधिकृत रूप से सदस्यों की जो रपट वगैरह आयें, क्या उनमें से कुछ हिस्से निकाले जा सकते हैं या नहीं ।

जहां तक संसदीय सचिवालय का सम्बन्ध है, मैं श्री मधु लिमये के, जिन पर विशेषाधिकार का सवाल था और जो इसी सम्बन्ध में पंद्रह दिन के लिए इस सदन से निकाले गये थे, उस पत्र में से कुछ हिस्से पढ़ देना चाहता हूं, जो उन्होंने विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष को लिखा। मैं उस पत्र के पैराग्राफ 26 का पूरा ही अनुवाद दिये देता हूं ।

> मैंने अपने कटौती प्रस्तावों के द्वारा कुछ शिकायतों की तरफ़ ध्यान खींचने की कोशिश की थी : (1) संसद् के सचिवालय के कर्मचारियों को अपना संगठन बनाने का अधिकार होना चाहिए, (2) संसद के सचिवालय के कर्मचारियों की नौकरी की शर्तें वग़ैरह कानून द्वारा बंधी हुई होनी चाहिए, (3) श्री म० ना० कौल, . . .

अध्यक्ष महोदय : श्री एम० एन० कौल ।

डा० राम मनोहर लोहिया : चूंकि मैं तो अपनी जबान में बोल रहा हूं, इसलिए मैंने "श्री म० ना० कौल" कहा है ।

> श्री म० ना० कौल की, जो अवैतनिक सचिव हैं बिना किसी कानूनी अथवा सांविधानिक अख़्त्यार के, नौकरी-नियुक्ति और उनको एक कमरे का दिया जाना, जब कि विरोधी सदस्यों को कोई अपना अलग से कमरा नहीं दिया जाता और जो अंग्रेज़ी और हिन्दी के टाइप करने वाले हैं, उनके साथ विरोधी सदस्यों को रहना पड़ता है, (4) सदस्यों और कर्मचारियों के लिए खाने-पीने के रेस्टोरां वग़ैरह की असंतोषजनक सुविधायें ।

इन चार बातों को लेकर यहां कटौती-प्रस्ताव रखने की कोशिश की गई थी । मैं इस बात को मान लेता हूं कि इस सम्बन्ध में नीयत वग़ैरह का प्रश्न नहीं उठना चाहिए । सवाल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिये । लेकिन क्या ये सवाल सदन में उठाये जा सकते हैं या नहीं, इस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं ।

संविधान इस मामले में बिल्कुल साफ़ है । संविधान ने कह रखा है कि हर एक पैसा, जो भारत सरकार ख़र्च करती है, उस पर इस सदन को पूरी तरह से बहस करने का अधिकार है । कुछ पैसा ऐसा है कि जिसके ऊपर उसको अपनी राय देने का अधिकार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि दो डेफिनिट सवाल इस वक्त कमेटी के सुपुर्द किये गये थे कि यह कमेटी को अधिकार है . . .

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : यह मैं बाद को अर्ज करूंगा । मैं भी तो बोलूंगा डाक्टर साहब को रपट पर, सब्सटेंटिव बातों पर बोलने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप भी बोलेंगे, आधा घंटा सारी बहस के लिए है । इस वास्ते मेम्बर साहब जिन्होंने . . (**व्यवधान**) आधा घंटा रूल्स में है । रूल 315 (2).

> "Before putting the question to the House, the Speaker may permit a debate on the motion not exceeding half an hour in duration....."

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : हाउस की सम्मति से आप बढ़ा सकते हैं । आप के अख़्तियार की बात है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस वास्ते डाक्टर की तवज्जह खींच रहा था कि सारा वक्त आधा घंटा है । जो सवाल इस वक्त सामने है, उनकी तरफ ज्यादा देना चाहिए ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं तो जहां तक समझता था यही सवाल है ।

श्री मधु लिमये : पूरे रपट का सवाल है।

डा० राम मनोहर लोहिया : क्योंकि यह सारा मधु लिमये का मामला है। वह निकाले गये। उन्होंने क्या शब्द कहे ? उसके ऊपर कैसी कार्यवाही की गई ? फिर विशेषाधिकार में क्या रुख लिया ? वहां मुकदमे में क्या हुआ ? मुकदमे में कुछ शब्द इस्तेमाल किये। तो मैं उस तफसील में न जा कर जड़ पर जा रहा था।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त तो सवाल इतना है कि जो पिछली दफा कहा गया था कि दो मामले पर विचार करके कमेटी रिपोर्ट करे, तो वह दो मामले अब कमेटी के सामने ये आये हैं ? क्योंकि उन्होंने कुछ जो नोट था सरदार कपूर सिंह का उसको वहां से निकाल दिया था रिपोर्ट से और पिछली दफा यह बहस हुई थी कि आया वह निकालने का अधिकार रखते हैं या नहीं रखते हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : एक मामला यह हुआ। और दूसरा मामला ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरा ?

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, सातवीं रपट पर विचार है केवल उस के एक अंश पर ही नहीं।

Shri Krishnamoorthy Rao (Shimoga): The statement of Mr. Madhu Limaye is included.

Shri N. C. Chatterjee: (Burdwan): Two points were referred to us.

Mr. Madhu Limaye wanted that oral evidence and his written statement should be included. We have included that. Having regard to his expression of regret before the Committee, it was not necessary, but in the Seventh Report, we have complied with his request and have completely incorporated them.

The only other point was whether the Deputy-Speaker was justified in expunging certain remarkes made against the Speaker and the Chairman, whether that was proper or not. It was referred to the Committee and the Committee has approved the action of the Deputy-Speaker.

So, only one point remains.

अध्यक्ष महोदय : तो फिर एक ही सवाल रह गया डाक्टर साहब।

डा० राम मनोहर लोहिया : अब यह जो आपके सामने सवाल है, मैं प्रस्ताव ही पढ़े देता हूं। यह प्रस्ताव है कि इस रपट पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : कौन सी रिपोर्ट ?

डा० राम मनोहर लोहिया : विशेषाधिकार समिति की सातवीं रपट जिसमें हम ने अभी पढ़ कर सुनाया था कि वह खत्म का 26 वां पैराग्राफ था रपट के 20 वें सफे पर। यह पूरी की पूरी रपट है सातवीं रपट विशेषाधिकार कमेटी की जो है इस के ऊपर विचार करने के लिए प्रस्ताव आया है और यह आपने शुरू में बिलकुल सही कहा था कि दो बातों पर विचार करना है।

अध्यक्ष महोदय : दो बातों में से एक बात तो मुझे चैटर्जी साहब ने इत्तिला दी, मैं नहीं जानता था कि एक बात तो कमेटी ने मान ली है

श्री मधु लिमये : कमेटी चाहे मान ले या नहीं अब तो सदन के सामने बात आयी है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, पांच सात मिनट में कह लें आप जो कुछ कहना है।

डा० राम मनोहर लोहिया: मेरी तकदीर ही मालूम होता है कुछ खराब है, खैर।

तो संविधान हमारा इस मामले में बिलकुल साफ है कि हम हर एक चीज पर बहस

कर सकते हैं। केवल मत देने के मामले में जैसे राष्ट्रपति वगैरह का है उस में मत नहीं दे सकते। लेकिन बहस उस पर भी हो सकती है। और वह संविधान लिखा हुआ है। हम भारत की जनता ने यह संविधान अपने आप को दिया है। जब एक लिखा हुआ संविधान होता है तो उसमें कोई परिपाटी या रिवाज कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो मैं सदन से बहुत जोर के साथ कहना चाहता हूं कि बड़ा भारी अन्याय हो रहा है कि इस सचिवालय की मांगों के ऊपर यहां कोई बहस नहीं हो पाती। और इस संबंध में खास तौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि एक अफसर को जो कि नौकरशाही से आया हुआ है इस सदन में एक कमरा दिया जाता है। एक नामजदगी के अफसर को कमरा दिया जाता है और दूसरे जो लोग चुन कर आते हैं उनको कमरा नहीं दिया जाता। यह आज की स्थिति और परिस्थिति को बिलकुल साफ दिखाता है कि यह सरकार कहां चली गई है यह नुमाइन्दगी की सरकार है। नामजदगी की सरकार नहीं रह गई है अगर ऐसे मामलों पर बहस नहीं कर सकते तो हम कहां क्या बहस करेंगे? उसके अलावा और यहां कहां गया था मैं बहुत सी बातें आप को बता देना चाहता हूं। सुना करता हूं लेकिन उन को कहता नहीं हूं यहां कहा गया था कि जो लोग काम करते हैं अपने संसद के सचिवालय में उनको ठीक वह बातें लागू हैं जोकि गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के ऊपर लागू हैं। यह बात सही नहीं है। अगर इन बातों पर बहस नहीं होती तो नतीजे खराब हो जाया करते हैं उस के अलावा जब सरदार कपूर सिंह की तरफ से नोट रखा गया तो उस में से खाली एक पैरा की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो हमारे सचिव है श्री सत्यनारायण सिन्हा, उनको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं, जो सरकार कपूर सिंह की नाराजगी की रपट में आया है

"The disorderly defiance of Speaker's ruling seems to suggest that defiars)....entertain a lunkring suspicion that the Speaker's rulings are biased in favour of the Government or tainted with the influence that the Government exercise over the Speaker."

यह श्री सत्य नारायण सिन्हा का जुमला है। बंगालूर में कहा हुआ है कि यहां पर काफी लोगों के मन में यह बात रहती है कि जो अध्यक्ष हैं उन के फैसले या तो सरकार के पक्ष में रहा करते हैं या सरकार के असर से दूषित हो जाया करते हैं। यह बात संसदीय मामलों के सचिव साहब कहते हैं मैं नहीं जानता कि इस तरह से सोचना कहां तक सही होगा, नहीं होगा। उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। खाली अध्यक्ष के मामले में दो बुनियादी बातें जरूर कहना चाहता हूं। मेहरबानी कर के आप उसे अपने लिए मत लीजिएगा। अध्यक्ष किसी भी संसद् का या तो बिलकुल स्वतंत्र आदमी होना चाहिये और स्वतंत्र माने किसी पार्टी से जुदा हुआ नहीं होना चाहिये और या किसी पार्टी का हो, मान लीजिए कोई पार्टी यहां ताकतवर है, उसका बहुमत है तो ऐसा सदस्य होना चाहिए जो मौका पड़ने पर, प्रधान मंत्री के ऊपर भी अपनी धाक जमा सके, तो यह बिलकुल साफ बात है। या तो निर्दलीय हो और अगर दल का हो तो इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि दल के नेता के ऊपर भी कभी-कभी अपना हुकुम, या अपनी हिदायतें या सुझाव डाल सके। ऐसी स्थिति में बिलकुल साफ है कि अगर इस सदन की कार्यवाही को अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं तो कोई न कोई यह रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। मैं इतना आप से जरूर कह दूं कि अंग्रेजों की जिनकी कि हम नकल यहां दिन रात किया करते हैं और उस नकल के कारण बहुत बुरे नतीजे भी हो जाया करते हैं, एक तरीका है कि कोई अध्यक्ष जब चुन लिया जाता है उसके बाद अपनी पार्टी से वह इस्तीफा भी देता और सारी जिन्दगी के लिए करीब करीब अध्यक्ष

[डा० राम मनोहर लोहिया]

बना रहता है। उस के चुनाव क्षेत्र में कोई मुकाबला भी नहीं करने जाता वह चुन कर आ जाता है। लेकिन वह निर्दलीय होता है। किसी दल का सदस्य नहीं हुआ करता।

तो अब वह मामला कितना खतरनाक हो चुका है क्योंकि यह बिलकुल साफ बात है कि जिस वक्त शक्ति का सवाल होता है उस वक्त शोभा का सवाल उठता है और उसी के साथ-साथ यह सवाल उठ जाया करता है कि जनता के अन्दर क्या मामला इस वक्त चल रहा है। मैं यह मानता हूं कि हम इस संसद के अन्दर कई एक दिक्कतों और पेंच में फंस जाया करते हैं। दिन रात मैं देखा करता हूं कि मंत्री लोगों के जवाब बेमतलब हुआ करते हैं। सवाल और जवाब का घंटा अगर खत्म हो जाय तो शायद संसद को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा क्योंकि मंत्री लोग कभी कोई इत्तिला भूले भटके दे दें नहीं तो नहीं दिया करते सवाल और जवाब से अनेक बार तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कुश्ती या पेंच होता है न दांव पेंच होते हैं या कई तरह के खेल कूद होते हैं वैसे ही यह सवाल जवाब होते हैं। इसके अलावा सवाल जवाब में कुछ दम नहीं रहता। तो उस वक्त दिक्कत आ जाया करती है। और तब आप को बिलकुल सही तौर पर इस सदन की शोभा कायम रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन शोभा और शक्ति तो साथ-साथ जाया करते हैं न? और उस के साथ-साथ मैं यह जानता हूं, एक दिक्कत और होती है कि मंत्री लोग ऐसे जवाब यहां पर इस लिए दे पाये हैं कि बाहर जनता में हंसने की ताकत नहीं रह गई है, समझ कर हंसने की। यहां मंत्रियों के जवाब अक्सर ऐसे होते हैं कि जनता उन को सुन कर इतने जोर से हंसे कि उस हंसी में ही सरकार खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी यह सरकार कायम रह जाया करती है?

इसका कारण यह है कि एक तरफ तो संसद की कार्यवाही इतनी खराब चल जाती है और दूसरी तरफ आप शोभा कायम नहीं रख पाते, इसलिये कि मंत्रियों का यह व्यवहार रहता है। तीसरे हम लोगों के दिमागों पर असर पड़ता है।

आखिर आप जिस कुर्सी पर बैठ हुए हो, वह ठण्ड की कुर्सी है और मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वह गरमी की कुर्सी है। हमारा आपका यह बटवारा हुआ है। हमारा काम है गर्मी के द्वारा इस देश में नई शक्ति सृजन करना और आपका काम है, इन दो कामों के बीच में संतुलन रखते हुए किसी तरह से काम को निभाना। तो ठण्ड की जगह पर शोभा का न होना—इस का कारण यह है, अध्यक्ष महोदय, अभी उस तरफ के लोगों ने आपको वह शक्ति प्रदान नहीं की है कि जिस शक्ति से आप इस सदन की शोभा की कायम रख सकें।

एक माननीय सदस्य: आपको जब शक्ति मिले तो आप देना।

डा० राम मनोहर लोहिया: मुझे कभी शक्ति मिलेगी तो मैं बता दूंगा कि अध्यक्ष को किस तरह से और किस खूबी के साथ रखा जाता है।

इसके अलावा जहां तक अध्यक्ष के बारे में संसदीय सचिव श्री सत्य नारायण सिन्हा ने कहा है, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में इस वक्त एक बड़ा भारी विचार फैला हुआ है कि जितने भी कायदे कानून चलते हैं, वे कहीं एकदम फिर से अधोगामी हुआ करते हैं, एक शिखर है—सिर और माथा, सिर से शक्ति नीचे आया करती है—अब उस शक्ति की सीढ़ी में कहां अध्यक्ष का नम्बर आता है, वह मेरे लिए कहना मुश्किल है। लेकिन जब शक्ति का पुंज ऊपर से लेकर नीचे तक आया करता है, तो साफ़ बात है कि अध्यक्ष की शोभा और सदन की शोभा को कायम रखना असम्भव हो जाता है।

वर्ना मैंने जो अंग्रेजों के सदन की रिपोर्ट पढ़ी है, कायदे-कानून "में" वगैरह में, उनमें साफ़ लिखा हुआ है कि एक शब्द भी कहीं किसी रपट से चाहे राजी वाला हो या नाराजी वाला हो, निकालना नहीं चाहिये। यह जो नियम आपने बनाये हैं, उस में लिखा है कि कुछ शब्द, कुछ शब्दावलि—वर्ड्ज, फ्रेज़ेज़ एण्ड एक्सप्रेशन्ज—हटा दिये जा सकते हैं। लेकिन सात सात सफे निकाल दिये गए हैं। अगर श्री कपूर सिंह की बात खराब लगी तो फिर उसके ऊपर विचार कर के, उनको उस कमेटी से निकाल देना चाहिये था। जब तक वह उस कमेटी में रहते हैं, अपनी राय देते हैं सात सफों में और उस राय पर श्री सत्य नारायण सिन्हा का वह वाक्य भी मैंने पढ़ कर सुनाया, तब तक वहां रहनी चाहिये, उस पर अच्छी तरह से वाद-विवाद होना चाहिये।

मैं खाली एक वाक्य आखिर में पढ़ कर सुनाता हूं। यह वाक्य लार्ड एक्टन का है। मेरी राय में वह कोई बहुत बढ़िया आदमी नहीं थे, बहुत प्रतिगामी थे। लार्ड एक्टन ने जिन्होंने खास तौर से ब्राइस के "अमरीकन कामन वैल्थ" पर टीका लिखी थी, उनका कहना था—ये एक्टन और ब्राइस खास तौर से संसदीय मामलों के पण्डित माने जाते है, उन लोगों की ओर से जो संरक्षणशील है, दकियानूसी हैं, प्रतिगामी हैं, पीछे जाने वाले या इसे समाज को बचाने वाले हैं, उनका यह वाक्य है :—

> "जो अमरीकी संविधान है, उसके सम्बन्ध में जो कार्यवाहियां हुई हैं, यह सिखाती हैं कि आदमी को चाहिये कि वह हमेशा लड़ता रहे उसे किसी दूसरे खतरे से भी जो उनकी आजादी को हो। अगर बादल आदमी के हाथ से भी ज्यादा बड़ा नहीं है तो उनका अधिकार है, और उनका कर्त्तव्य है कि वह राष्ट्रीय अस्तित्व पर भी खेल जाय अपने जीवन और अपनी तकदीर का हवन कर दे, खून की नदी अपने देश के ऊपर बहा दे।"

श्री त्यागी (देहरादून) : अंग्रेजी में भी पढ़ दीजिये।

डा० राम मनोहर लोहिया : पढ़े देता हूं "और चाहे ताज और तख्त को खत्म कर डाले और संसद को समुद्र में फेंक दे।"

यह लार्ड एक्टन का वाक्य है। मुझे इजाजत दें तो मैं अंग्रेजी में भी पढ़ दूं—

> 'It teaches that men ought to be in arms against a remote and constructive danger to their freedom; that even if they could is no bigger than a man's hand, it is their right and duty to stake the national existence, to sacrifice live and fortunes, to cover the country with a lake of blood, to shatter crowns and sceptres and fling parliaments into the sea.'.

यह संरक्षणशील आदमियों के विचार हैं। आज यहां क्या हाल है? जब पहली बार अमरीका में संविधान लोगों ने अपने आपको दिया था, उस के बाद से उस संविधान की एक भी कलम को कम नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : आपने 15 मिनट ले लिए हैं, इस के लिए सारा आधा घण्टा है, इस वास्ते आप जल्दी खत्म कीजिये।

डा० राम मनोहर लोहिया : इस को आप बढ़ाइये।

मैं आप से यह विनती कर रहा हूं कि आप ठण्ड की कुर्सी पर बैठे हुए हैं इसलिये संविधान की दीवाल को सिकोड़िये मत, इस संविधान की दीवाल को बढ़ाने की कोशिश कीजिये।

यहां पर हर पैसे पर बहस होनी चाहिए, यहां तक कि राष्ट्रपति के पैसे पर भी होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये। पांच पांच मिनट लेंगे।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इस से एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न जड़ा हुआ है, वह आधे घण्टे में नहीं आ सकेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इस में क्या कर सकता हूं ।

श्री मधु लिमये : जो प्रस्ताव है उस पर मैं दो ही मिनट लूंगा, उस से आपका समय भी बच जायेगा और मेरी बात भी आ जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय उस दिन आपने फरमाया था कि प्रस्ताव पर बहस करते समय, उस से जुड़े हुए जो तीन मामले हैं, व्यवस्था सम्बन्धी, उन पर भी हम कुछ कहें और मैं उस पर फैसला दे दूंगा ।

Mr. Speaker: Motion moved:

"That the Seventh Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 16th May, 1966, be taken into consideration.".

श्री मधु लिमये : ये तीन मामले इस प्रकार हैं कि आपके द्वारा यह निर्देश देना संसद् की समिति को कि ऐसे अगर कुछ असंसदीय या अशिष्ट शब्द या शब्दावलि आ जायेंगे तो उनको काटने की इजाजत है या नहीं है अधिकार है अध्यक्ष को—क्या यह निर्देश नियम और संविधान के अनुकूल है ।

दूसरा सवाल यह है कि जो 91 निर्देश है, क्या उसका यह मतलब है कि शब्द, वाक्यांश या शब्दावलियां ही नहीं, पूरा अनुच्छेद, पूरा पृष्ठ काटने की इस में इजाजत है या नहीं ।

तीसरे यह जो अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल कहां तक उचित ढंग से और जायज ढंग से समिति ने किया है, और उसके पश्चात् रपट पर बहस ।

चौथे के बारे में डाक्टर साहब ने फरमाया है । अब जहां तक चौथे का सवाल है उस के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा कि आप ही ने फरमाया था कि आधा घण्टे का नियम लागू हुआ है तो नियमों के विपरीत हम कैसे जा सकते हैं । मैं उसको मानता हूं । लेकिन कानून और नियमों की भी एक श्रेणी है, एक सब से बड़ा संविधान है और उसके मातहत है नियम, नियमों के अनुसार फिर निर्देश बनते हैं और समय समय पर अध्यक्ष निर्णय भी देते हैं । जैसे यहां पर कोरम का प्रश्न हमेशा उठाया जाता है और जो संविधान की धारा 100 (4) है—

"It at any time during a meeting of a House there is no quorum, it shall be the duty of the Chairman or Speaker, or person acting as such, either to adjourn the House or to suspend the meeting until there is a quorum.".

अब इस के बारे में आपने कोई निर्णय देकर संविधान की इस धारा को खत्म करने का प्रयास नहीं किया और वह अच्छा ही किया । कोरम का मामला बारबार बाधा उत्पन्न करता है तो भी आपने कहा कि जब कोरम का सवाल उठाया जायगा, मैं उसके अनुसार काम करूंगा जब तक कि संविधान में कोई परिवर्तन नहीं होता । फिर, अध्यक्ष महोदय यह जो कटौती प्रस्ताव है, जिसके बारे में अभी डाक्टर साहब ने फरमाया वह धारा 113 से सम्बन्धित है—

"(1) So much of the estimate as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of India shall not be submitted to the vote of Parliament, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in either House of Parliament of any of these estimates.

(2) So much of the said estimates as relates to other expenditure shall be submitted in the form of demands for grants to the House of the people, and

the House of the People shall have power to assent, or to refuse to assent, to any demand, or to assent to any demand subject to reduction of the amount specified therein.".

इस के अनुकूल 208 से ले कर 210 तक नियम बने हुए हैं, इस पर भी अगर आप अध्यक्षीय निर्णय के द्वारा पूरे संविधान की एक महत्वपूर्ण धारा को, जिस के ऊपर सारे प्रजातन्त्र की इमारत खड़ी है, खत्म कर डालते हैं, नियमों को भी खत्म कर डालते हैं, तो मैं बड़े अदब के साथ इस रपट पर बोलते हुए आप से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार कीजिये। यह मैं मानता हूं कि संख्या बल तो आप के निर्णय के हक में है, लेकिन संविधान का फैसला संख्या बल के आधार पर नहीं बल्कि संविधान में जो चीजें हैं, नियमों में जो चीजें हैं, उन के अनुसार होना चाहिए। यह बात तो मुझे इस रपट के बारे में अर्ज करनी है।

अब यह जो तीन बातें रह जाती हैं उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप नियम 380 को देखिए, जिस में आप को यह अधिकार है कि अगर कोई ऐसे शब्द आते हैं तो आप उन को विवाद से निकाल दें, बहस से निकाल दें। यह नियम इस प्रकार है :

"If the Speaker is of opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may, in his discretion, order that such words be expunged from the proceedings of the House."

इसमें तो आप को इस नियम के अनुसार यह अधिकार है।

जिन मामलों के बारे में कोई नियम वगैरह नहीं हैं, उन के बारे में जो अन्तिम 389 नियम है, उस के अनुसार आप को अधिकार है निर्देश वगैरह देने का। यह नियम इस प्रकार है :

"All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules".

"detailed working of these rules" पर मैं जोर देना चाहता हूं।

"shall be regulated in such manner as the Speaker may, from time to time, direct".

अब आप देखिये कि यह जो निर्देश की किताब है उस में रूल्स कमेटी की एक बैठक का उल्लेख है। इस की प्रस्तावना जो है उस में लिखा हुआ है :

"At the sitting of the Rules Committee held on the 1st March 1952, a suggestion was made that the Speaker might issue directions to the Chairmen of Select Committees for better organisation of work in those committees".

याद रखिये,

"Better organisation of work."

समितियों का काम अच्छी तरह चल सके इसलिये आप निर्देश दे सकते हैं। उस के बारे में अन्तिम जो नियम है, उस को मैंने पढ़ कर सुनाया। **डिटेल्ड वर्किंग आफ दि रूल्स**। समितियों का काम अच्छी तरह चल सके इसलिए आप को तफसील के सम्बन्ध में निर्देश देने का अधिकार है। इस के सम्बन्ध में नियम समिति की जो बैठक हुई 14 दिसम्बर, 1953 को उस ने यह सिफारिश की है :

"As far as possible, all important matters should be provided for in the rules of procedure".

अब यह जो आप के द्वारा निर्देश चलाया गया है वह नियम तथा संविधान के अनुकूल है या नहीं इस के बारे में नियम समिति के

[श्री मधु लिमये]

इस प्रस्ताव से या सिफारिश से काफी रोशनी मिलती है। जितने हमारे कार्य हैं, जहां तक बन सके उन के बारे में नियम साफ होने चाहिएं। अब इस के बारे में कोई नियम नहीं हैं। चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इसलिए इस के बारे में नियम होने चाहिएं। इसलिए मैं कहूंगा कि जो आप का यह निर्देश है उस पर आप पुनर्विचार करें। आप यह मान लें कि वह गैर-कानूनी है और उस को खत्म कीजिये।

यदि आप यह मानने के लिए तयार नहीं हैं तो मैं दूसरी बात पर आता हूं कि जो निर्देश आप के द्वारा दिया गया उस में बिल्कुल साफ है कि कुछ शब्द, वाक्यांश या शब्दावली को हटाया जा सकता है। यदि इस के अर्थ को विस्तारित किया जाये और कोई समिति कहे कि उस को इस निर्देश के अन्दर यह शक्ति प्राप्त है कि वह कई सफे और कई अनुच्छेद हटाये, तो मैं अदब से कहूंगा कि यह आप के निर्देश के अनुसार भी नहीं होगा। पहली बात तो यह कि निर्देश नियम के अनकूल नहीं हैं इस लिए गलत हैं। लेकिन यदि आप यह मानते हैं कि नियम के अन्तर्गत आप को यह अधिकार प्राप्त है तो मैं कहूंगा कि जो अधिकार आप ने इन समितियों को इस निर्देश के द्वारा दिये हैं उस में यह बात नहीं आती पूरे सफों और अनुच्छेदों को खत्म करने की शक्ति समिति को नहीं है।

इस के बाद यह बात आती है कि यह जो अधिकार हैं क्या इस का समिति ने और खास कर के इस समिति के सभापति ने ठीक से इस्तेमाल किये हैं। मैं आप से निवेदन करूंगा कि जब डा० राम मनोहर लोहिया ने यह मामला सदन में उठाया था तब काफी गर्मी यहां पैदा हुई थी और करीब करीब सभी लोगों की राय थी कि जो श्री कपूर सिंह का असहमति पत्र है, उसके बारे में समिति दुबारा विचार करे। करीब करीब सभी लोगों की यह राय थी कि जो इन सफों को काटने का काम हुआ है वह ठीक नहीं हुआ है और इसी लिए पुनर्विचार के लिए भेजा जाये। मुझे ऐसा लगता है कि इस के पश्चात् भी समिति और समिति के सभापति ने जो निर्णय लिया, और यह सभापति का ही निर्णय है क्योंकि श्री हीरेन मुकर्जी ने कहा है कि जो निर्णय हुआ उसका उन को पता नहीं था। तो क्या दुबारा उस असहमति पत्र को काटने का उन का निर्णय ठीक है? मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अनुचित है।

इसलिये आप इन सभी पहलुओं पर विचार करें, खासकर जो संविधान की धारा 113 है उस पर, क्योंकि संविधान और नियमों की इज्जत और उस की प्रतिष्ठा इस सदन में बहुत होनी चाहिए।

Shri N. C. Chatterjee: May I explain the position? There were some statements made casting reflections on the Speaker of the House in a writ petition filed by Shri Madhu Limaye in the Circuit Bench of the Punjab High Court. On that, the Committee of Privileges was asked to consider the matter. Shri Limaye appeared before the Committee and made a statement. I will not take your time reading the whole thing. But the last sentence is:

> "Since my statements in the Court have caused pain to the Speaker and my other colleagues in the House, I hereby express regret as an index of my honourable intention in the matter.".

On that, the Committee made this recommendation:

> "The Committee recommend that in view of the regret expressed by Shri Madhu Limaye, M.P., in his statement before the Committee, no further action be taken by the House".

There was a Note of Dissent appended by Shri Kapur Singh. It

covers many pages. We have printed everything. But unfortunately, in two places, there were reflections cast on the Speaker and on the Chairman. Therefore, that was ordered to be deleted. They are small portions on pages 10 and 11.

Two things were demanded after this: first, that Shri Madhu Limaye's full evidence should be printed, his whole statement should be printed; second, that it was *ultra vires* on the part of the Deputy Speaker to order expunction of certain irrelevant or offensive remarks against the Speaker or against the Chairman, and that he should not have done it.

We are all conscious that we should have the right to submit notes of dissent and that the same should be placed before Parliament. We are all conscious of that right; we do not want that that should be interfered with lightly or improperly.

If you will kindly refer to page 3 of the Report of the Committee, you will find it stated in paragraph 10:

> "In Shri Madhu Limaye's case (Fourth Report), the Committee, in view of the subsequent statement made by Shri Madhu Limaye, MP, when he appeared before the Committee on the 18th March, 1966, expressing regrets for the impugned statements made by him in his writ petition filed before the Circuit Bench of the Punjab High Court, did not consider it necessary to append his earlier lengthy written statement and the oral evidence given by him before the Committee, to their report on that case. Since Shri Madhu Limaye and some other Members have requested that the said written statement and the oral evidence of Shri Madhu Limaye should be made available to the House, the Committee have no objection to the same being reproduced in the Appendix to this Report".

Therefore, we have in the Appendix to the Report reproduced the full evidence and the full written statement. Hence that thing is finished.

14 hrs.

The only thing that remains is whether the Deputy-Speaker acted *intra vires* or *ultra vires*, properly or improperly, in ordering that some sentences in Shri Kapur Singh's note of dissent be expunged. That was referred to the Committee. I assure the House that the Committee seriously considered the matter and wanted, if possible, to restore it. But we found it impossible to do so:

> "As regards the omission of certain passages from the Note of Sardar Kapur Singh appended to the Fourth Report of the Committee, it may be stated that the Chairman of a Committee can omit or expunge words, phrases or expressions which in his opinion are unparliamentary, irrelevant or otherwise inappropriate, from the Note given by a Member for being appended to the Report of the Committee.".

That is based on Direction No. 91 given by you, which reads as follows:

> "(1) If in the opinion of the Chairman, a minute of dissent contains words, phrases or expressions which are unparliamentary, irrelevant or otherwise inappropriate, he may order such words, phrases or expressions to be expunged from the minutes of dissent.".

That is exactly what has been done. He says that Direction No. 91 is *ultra vires*. I am pointing out that Direction No. 91 is not *ultra vires*. It is perfectly *intra vires*. The Charge is you have flouted the Constitution; you have flouted our rules, you have given power which is thoroughly improper, unconstitutional, unparliamen-

[Shri N. C. Chattrjee]

tary. I am submitting that it is putting it too wide.

Rule 283 reads:

> "The Speaker may from time to time issue such directions to the Chairman of a Committee as he may consider necessary for regulating its procedure and the organisation of its work".

By virtue of rule 283 you have given that direction. It is perfectly consistent with the rules. After all, how can a Chairman function? Supposing the Speaker was the Chairman or some other Member of the House, supposing I was made the Chairman and I found some remarks made against the Speaker by an hon. Member of the House thoroughly inappropriate, unparliamentary, irrelevent, nothing to do with the matter, surely the Chairman should have the right to order expunging of it.

This was also referred to the Committee of Privileges, and just look at what the Committee of Privileges have done. The Committee of Privileges in their Seventh Report have said—kindly allow me to read one sentence:

> "The Committee have carefully pursued the two impugned paragraphs Nos. 7 and 9 which had been omitted by the Chairman from the Note of Sardar Kapur Singh appended to the Fourth Report".

You asked the Committee to consider whether the Chairman was right or wrong, and the Committee considered it carefully, and the Committee's decision is this:

> "The Committee, after considering the tone, tenor and content of the said paragraphs, are of the opinion that the decision of the Chairman to omit the said paragraphs from the Note of Sardar Kapur Singh was justified and in conformity with the rules and practice of the House. The Committee, therefore, feel that no further action in respect thereof is necessary.".

I am submitting that nothing improper, nothing illegal, nothing unparliamentary, nothing inappropriate has been done. The Committee and the Chairman acted in conformity with the rules, in conformity with the directions.

The only point is: you can expunge words, you can expunge phrases, you can expunge expressions, but you cannot expunge a number of sentences. I am saying that would make the meaning of the whole rule absolutely otiose. That was not the meaning. When you can expunge words, phrases and expressions, you can also expunge certain sentences, which cast reflection on the Speaker or which are inappropriate, and he has acted within his power, within your rule; your direction is in conformity with our rules, and the rule is inconformity with all parliamentary conventions and practice, nothing against the Constitution, does not take away one constitutional right or prerogative of any Member of this Parliament. And I assure you that the Committee simply did not ditto whatever the Chairman had done. The Committee read those passages, considered them, and confirmed that what he did was perfectly proper and appropriate in the circumstances.

डा० राम मनोहर लोहिया मुझे उत्तर देने का अधिकार तो है न ?

अध्यक्ष महोदय अभी तो बोल रहे हैं मेम्बर साहिबान ।

Shri Hari Vishnu Kamath: I shall confine myself very briefly to the narrow issue regarding the expunction of certain paragraphs from hon. friend Sardar Kapur Singh's statement before the Committee.

May I invite your attention to rule 303 read with Direction No. 64? Rule 303 forms part of Chapter XXVI on Parliamentary Committees, and sub-rule (6) of rule 303 reads as follows:

> "If in the opinion of the Speaker a minutes of dissent contains words, phrases or expressions which are unparliamentary or

otherwise inappropriate, he may order such words, phrases or expressions to be expunged from the minute of dissent."

But the directions of the Speaker go further, the scope of the direction framed under the rule, because I take it that there can be no two opinions on that point that no direction can override or supersede the rules, the direction only tries to clarify or explain what the rule contains. What does the direction say ? Direction 64(1) says:

"If in the opinion of the Chairman....."

You have delegated that power conferred on you by the rules to the Chairman of a parliamentary committee, and what powers does the Chairman enjoy under this delegation? Direction 64(1) says:

"If in the opinion of the Chairman a document, such as, representation, memorandum etc. . .

—I suppose it includes a minute of dissent also, because the word "etc." is there—

". . .contains words, phrases or expressions which are unparliamentary. . .

—another word is interpolated here, introduced here—

"...irrelevant....

—the word "irrelevant" is not in the rule—

". . .or are not couched. . .

—this goes very much farther than the rule contemplates—

". . .in respectful. . .

—of course, we all have respect for parliamentary institutions and our language should be respectful, but one can make a fetish of respectfulness or respect; what exactly respect is God only knows, but we try to be as respectful as we can in our speech, in our minutes of dissent, in our notes, but it can be made a fetish of; and I am reminded of a famous phrase of Prof. Harold Laski "the dangers of obedience", obedience also can be just as dangerous disobedience, so also respect, I do not know what "respect" exactly connotes here, but it goes much beyond the scope of rule 303—

". . .decorous. . .

—that is all right, we know decorum—

". . . and temperate language. . .

—there is a distinction which has been very well understood between temperance and prohibition, temperance is something different from prohibition, temperance is enforced by public opinion while prohibition is enforced by law; and what is temperate action is a matter of judgment—

"....respectful, decorous and temperate language, or....

—again it goes much further—

"....are otherwise inappropriate. . .

Mr. Speaker: Which direction ?

Shri Hari Vishnu Kamath: Direction 64.

Shri N. C. Chatterjee: Is it not under Direction 91 ?

Shri Hari Vishnu Kamath: No, no. 64.

Rule 303(6) mentions only "unparliamentary or otherwise inappropriate"; here it is mentioned "unparliamentary, irrelevant", and then comes "respectful". That means disrespectful language shall be excluded, indecorous language also shall be omitted, and intemperate language.

I do submit that sometimes we do use what may be dubbed by you, described by you, as intemperate language in the House, that is not expunged.

Mr. Speaker: Direction 64 relates to the documents that are produced by the witnesses or other representations or memorandum.

Shri Hari Vishnu Kamath: Etc. The word "etc." is there.

Mr. Speaker: It is not that, Direction 64 does not apply. It is under Direction 91.

Shri Hari Vishnu Kamath: All right. I thought the word "etc." was comprehensive.

Mr. Speaker: It has only reference to documents, representations,....

Shri Hari Vishnu Kamath: A minute of dissent is a document.

Mr. Speaker:....presented to the Committee.

Shri Hari Vishnu Kamath: Then we go to Direction 91, which reads:

> "If....a minute of dissent contains words, phrases or expressions which are unparliamentary, irrelevant....

—the word "irrelevant" is introduced, interpolated, it is not in the rules—

> "...or otherwise inappropriate...

—the rule merely refers to "unparliamentary or otherwise inappropriate"; the word "irrelevant" does not find a place in rule 303—

> "....he may order such words, phrases or expressions to be expunged from the minutes of dissent."

I feel, therefore, that this direction goes beyond the scope of the rule and therefore cannot be considered as being strictly *intra vires*.

Shri N. C. Chatterjee: The rule is 283.

Shri Hari Vishnu Kamath: No, no, 303. 283 is about giving directions to the Chairman of Committees. Rule 303 applies, doesn't it?

Mr. Speaker: He may say whatever he likes.

Shri Hari Vishnu Kamath: In this case rule 303 applies because only in this rule there is reference to the minute of dissent. I would, therefore, submit that direction 91 cannot be considered as being strictly *intra vires* of the rule.

Mr. Speaker: 303 applies to select committees.

Shri Hari Vishnu Kamath: Parliamentary Committees. The other rule quoted by my hon. friend Shri Chatterjee concerned the Joint|Select Committees.

Shri N. C. Chatterjee: 303 is for Select Committees.

Mr. Speaker: I also feel like that.

Shri Hari Vishnu Kamath: But there is no provision as such for minute of dissent in regard to Parliamentary Committees; that is why I wanted to know whether that rule can apply here. There is no specific provision for minute of dissent to be given to the report of the Committee of Privileges. The only provision in the rules is given here concerning the minute of dissent and therefore I submit, guided by the very wise precedent, in my humble judgment, which you already set up a few days ago with regard to the verbatim evidence that was tendered before the PAC and your ruling to the effect that the evidence tendered before that Committee shall be made available to Members of the House in the Chamber of the Chairman of the PAC, guided by that precedent, I would submit that what is available to the Members of the Committee of Privileges—they know what it was before they decided to expunge it—which is a smaller body of the House must be available to a Member of the House who has got, I submit, every right, equal right, co-terminous rights with the members of a Parliamentary Committee. I would, therefore, submit that the minute of dissent submitted by Sardar Kapur Singh may kindly be made available to any Member of the House in your Chamber,

if you so desire, so that he can go through it and come to his own judgment; it may not be used by him in the House or published. I would, therefore, submit that this direction is somewhat *ultra vires* the rules and further, every Member should have the opportunity to see the comments made by Sardar Kapur Singh.

Shri Parashar (Shivpuri): Sir, the question here is very simple; with due respect to my friend Shri Kamath, I must submit that the question has been a bit confused for he rather misquoted such rules which are absolutely unapplicable to the present case. Only rule 283 applies here because 303 applies to Select Committees. Under rule 283, the Speaker has powers to give directions to the Chairman of a Committee; it says:

> "The Speaker may from time to time issue such directions to the Chairman of a Committee as he may consider necessary for regulating its procedure and the organisation of its work."

Here, proceedings of the committee do not mean anything here or there but from the beginning to the end, from the time that the work of the committee begins till it closes its function in a particular matter. Any direction given by the Speaker for the regulation of the procedure is perfectly valid and therefore to contend that the directions given by the Speaker in No. 91 are *ultra vires* is untenable.

Coming to the merits of the case, the question is whether whatever had been appended as a minute of dissent by Mr. Kapur Singh was to be circulated and whether the Chairman of the Committee was empowered to expunge the words and expressions from that. It has been argued here that the Chairman could expunge only words and phrases or expressions. My friend Mr. Madhu Limaye tried to give the Hindi version of the three words and tried to convince the House that only a few words can be omitted. the word expression has got a very wide and unlimited sense.

श्री मधु लिमये : मैंने "शब्दावली" कहा है ।

Shri Parashar: Expression may be in parts or in pages; if the note is not in respectable language that also can be expunged. The Seventh report of the Privileges Committee has clearly said that they had carefully persued what is contained in paragraphs 5 and 7 of Mr. Kapur Singh's note; it says further:

> "The Committee after considering the tone, tenor and contents of the said paragraphs are of the opinion that the decision of the Chairman to omit the said paragraphs from the note of Mr. Kapur Singh was justified and in conformity with the rules and practices of the House.".

Being a Member of the Privileges Committee, if I can just have a say in this matter. I can only say that if a note of dissent casts aspersions on the Chairman or the Speaker and if the Chairman is compelled to incorporate those words, pharases or expressions in the minutes or in the proceedings it will be rather very difficult for the committee to function and at the same time it will be misuse of the powers of the Members' privileges in the committee. Therefore, I humbly, submit that whatever has been expunged has been perfectly, legitimately, correcly, legally and regularly expunged and therefore, this question does not arise; this motion should fall.

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न के बारे में कानून की नज़र से नहीं, बल्कि वाकयात की तफ़सील के आधार पर संक्षेप में कुछ अर्ज़ करना चाहूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : पहले सदन में कोरम होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : घंटी बज रही है—अब कोरम हो गया है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री गो० ना० दीक्षित : माननीय सदस्य, श्री मधु लिमये, ने इस सदन का अपमान किया और प्रिविलेजिज कमेटी में उन का मामला भेजा गया। वहां जा कर श्री मधु लिमये साहब ने अपना दोष स्वीकार किया और क्षमा मांगी। इस पर प्रिविलेजिज कमेटी ने उन को क्षमा कर दिया। माफ़ी मांगने और क्षमा मिल जाने के बाद अगर एक सदस्य ने स्पीकर महोदय या डिपुटी स्पीकर महोदय के सम्बन्ध कोई अपमानजनक बात लिखी है, तो श्री मधु लिमये को इस में दिलचस्पी है कि उन्होंने जो माफी मांगी थी, उस के विरोध में यह प्रश्न लाया जाये। मुझे तो अपनी हिन्दी की कहावत एक याद आती है—उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिसने जुर्म किया, माफी मांगी, जुर्म मान लिया वह यह कहे और आज सदन का समय इस काम पर व्यय किया जाये, मैं इसको गलत समझता हूं। मेरा निवेदन है और मैं तो यह समझता हूं कि उनका यह माफीनामा जो उन्होंने अब रुख लिया है, उस से वह रद्द हो गया है और उनका मामला फिर प्रिविलेज कमेटी में जाना चाहिए और उनको दंड दिया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि जहां तक कानून का प्रश्न है हमारे भाई राम सेवक यादव जी ने कहा कि वह कानून का सवाल इसलिए नहीं उठाये इस समय कि हमारे भाई लोहिया जी ने हिन्दी में सवाल उठाया, इसलिए उसका जवाब मैंने भी हिन्दी में दिया, कानून की बात कहने में शायद मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ता, यह गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता था।

मैं सिर्फ यह निवेदन करूंगा कि कमेटी ने बहुत सही काम किया। गलत काम किया मधु लिमये साहब ने। अगर आप मुनासिब समझें तो इनका मामला फिर कमेटी में भेजें।

श्री बड़े (खारगौन) : आपने जो कहा इस प्रकार की बात यह नहीं है। इसमें केवल एक कानून का सवाल है कि जब कोई कानून साइलेंट हो और अपने रूल्स में कोई भी ऐसा नियम दिया नहीं है कि मिनट आफ डिसेंट पेश करना है या नहीं करना है, तब कोर्ट में दुसरे जो ला, दूसरे जो ऐकशंस रहते हैं, उनका प्रोसीजर एडाप्ट किया जाता है और उसके अनुसार 303 में सेलेक्ट कमेटी का प्रोसीजर दिया है। वह इसमें प्रोसीजर नहीं देने से, संदिग्ध होने से उसको फालो किया जाये और यह जो कामत साहब का कहना है, उन्होंने उसको स्पष्ट तरीके से नहीं कहा क्योंकि 303 नहीं लागू होता है। लेकिन 283 लागू किया जाये यह मेरा निवेदन है।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, श्री चटर्जी और श्री दीक्षित ने दो बातों को घोलमेल कर दिया जिसको बिलकुल अलग रखना चाहिए था। एक बात तो है कि क्या आपने या सदन ने संसदीय मामलों के पैसे पर बहस रोक देने में काम गलत किया या नहीं? दूसरी बात है कि मधु लिमये ने नीयत के ऊपर कोई बात कह करके अच्छा किया या नहीं? तो यह दूसरी चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी। नीयत का कोई सवाल नहीं। इन्होंने यह कह भी दिया कि यह आपकी नीयत पर शक नहीं करना चाहते। तो यह बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन फिर भी आपने अथवा सदन ने या हम लोगों ने गलती का या नहीं उस पर तो बहस होनी ही चाहिए। नहीं तो इस कमेटी की रपट का मतलब क्या रह जाता है? इसलिए श्री चटर्जी और श्री दीक्षित ने इन दो मामलों को घोल मेल करके बड़ा अनुचित काम किया है। मैं चाहूंगा कि इन दोनों को अलग रखा जाये। मैं श्री मधु लिमये के खेद को मान लेता हूं।

इसलिए मैं ने नीयत के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहा । वह बात तो खत्म हुई ।

लेकिन मैं चाहता हूं कि संविधान में जो दिया है उस का आदर हो । श्री चटर्जी ने उस के बारे में एक हरफ नहीं कहा, श्री दीक्षित ने उस पर एक हरफ नहीं कहा कि संविधान ने हम को जो अधिकार दिये हैं कि एक एक पैसे पर यहां बहस होनी चाहिए । वह बहस यहां हो, संसदीय मामलों पर जो कटौती के प्रस्ताव आते हैं उन पर यहां बहस हो । तो मैं समझता हूं, मैं उन के शब्द तो यहां नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका एक कहावत है । मालूम होता है कि दाढ़ी में तिनका रह गया, इसलिए वह इस मामले को अच्छी तरह नहीं उठा पाये ।

मैं एक ही बात कहना चाहता हूं और उन से नहीं कहना चाहता । आप के अन्तःकरण तक यह आवाज पहुंचाना चाहता हूं । संविधान की चहारदीवारियां हैं । उन चहारदीवारियों की आप मेहरबानी कर के न सिकोड़ें । उन को बढ़ा सकें तो बढ़ाने की कोशिश करें । यहां पर हर एक मामले के ऊपर बहस अच्छी तरह से हो जाने दी जाये ।

और दो ही वाक्य में शोभा और शक्ति के बारे में कह देना चाहता हूं, किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता । राजा शक्तिमान अगर होता है तो वह अगर कोई अपशब्द उसको कहे जाते हैं तो वह कैसा रुख लेता है ? चुप रहता है, कुछ गड़बड़ नहीं करता । दंड भी नहीं देता । वह केवल अपने कानूनों के अनुसार जिस किसी ने अपशब्द कहे या बुरे काम किए, यहां तक कि अगर मान लीजिए मैं शक्तिशाली राजा हूं और मुझे कोई मार बैठे तो मैं उसे मारने नहीं जाऊंगा, चुप रहूंगा, अन्यमनस्क रहूंगा, गंभीर रहूंगा, फिर उसके बाद कायदे कानून से जो कुछ भी उसको सजा दी जा सके वह दी जाय । तो शोभा और शक्ति का कुछ न कुछ अपने देश में मिश्रण होना चाहिए । इसलिए जब कभी श्री चैटर्जी या दूसरे लोग शोभा, ओहदा, रुतबा, ताकत, इसका यह बयान करते हैं तो उन्हें चाहिए कि उस शोभा को शक्ति के साथ जोड़ दें । शक्ति के बिना शोभा बिलकुल एक उस तरह से होती है जैसे कोई कांच हीरा बनने की कोशिश करे । कोई ऐसी चीज यहां बिलकुल नहीं होनी दी जाय । मेरा आपसे नम्र निवेदन है इसलिए कि हमारी शक्ति है नहीं सदन के अन्दर और बाहर भी इतनी ज्यादा नहीं है । तो रखवाली आप को करनी है । नहीं तो नतीजा यह होगा कि बहुसंख्यक दल ज़ब चाहे जिस नियम का मन चाहे जैसे पालन करवा लिया करेंगे । अब देखिए, कोरम का जैसे मामला है, उसके मामले में तो इतने सख्त हैं कि जहां कोरम का सवाल उठा तो फौरन कह देते हैं कि कोरम पूरा करो । लेकिन संविधान की धारा है कि एक एक पैसे के ऊपर यहां बहस होनी चाहिए, उसका पालन नहीं होता । उसका पालन होना चाहिए और उसके ऊपर बहस जरूर होनी चाहिए । तो मैं आपके अन्तःकरण को इस वक्त अपील कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अपील इनकी मेरे अन्तःकरण तक पहुंची और उससे भी गहरी पहुंची । उसने मुझे अच्छी तरह चोट दी र । मैंने भी इस पर सोचा है । मैंने कभी यह नहीं कहा कि यह हाउस जो है उसको अधिकार नहीं है उन मांगों पर बहस करने का । कभी नहीं मैंने कहा और न मैं कह सकता हूं । यह विधान में है । बराबर अधिकार है कि किसी वक्त बहस करें । मगर उसी अधिकार का इस्तेमाल करना भी इनका अधिकार है कि कौन सी मांगें जो हैं उनको वह डिस्कस करेंगे, किन को वह न करेंगे और यही हर साल होता है क्योंकि सारी मिनिस्ट्रीज तो आती भी नहीं । यह पहले बैठकर फैसला करते हैं कि हम किन किन मांगों पर बहस करेंगे, किन पर नहीं

[अध्यक्ष महोदय]

करेंगे। फिर वह हाउस के सामने आती हैं। अब डाक्टर साहब कहते हैं कि गो शक्ति दूसरी तरफ है मगर मैं ऐसा कोई तरीका निकालूं कि अगर वह शक्ति एक फैसला करती है तो भी मैं कोई तजवीज निकालूं कि उसके बरखिलाफ जो शोभा जिसको वह कहते हैं उसके लिए कुछ कर सकूं। मगर मुझे अभी तक तो यह चीज नजर नहीं आती कि मैं कर सकता हूं। मगर यह जो उन्होंने अन्तःकरण को हिलाया है . (व्यवधान) व्यक्ति का अधिकार, हाउस के बरखिलाफ व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। तब फिर संविधान की क्या जरूरत है ?

दूसरा सवाल कहा गया कि यह अल्ट्रा वाइरिस है। मुझे उसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जो कुछ चैटर्जी साहब ने कहा है और जो मैंने पहले कहा यहां जो लागू होता है वह 91 ही है, डाइरेक्शन जो लागू होता है और उसमें साफ तौर से यह दिया हुआ है। अब मैं मोशन को हाउस के सामने पेश करता हूं।

The question is:

"That the Seventh Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 16th May, 1966, be taken into consideration."

The Motion was adopted.

Shri Krishnamoorthy Rao: I beg to move:

"That this House agrees with the Seventh Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 16th May, 1966."

Mr. Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Seventh Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 16th May, 1966."

The Motion was adopted.

14.28 hrs.

STATUTORY RESOLUTION *RE*: LEVY OF EXPORT DUTY ON CERTAIN ITEMS

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): I beg to move the following resolution:

"In pursuance of sub-section (2) of section 4A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), this House approves of the Notification